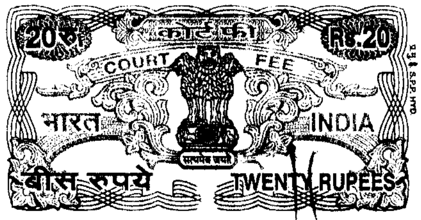

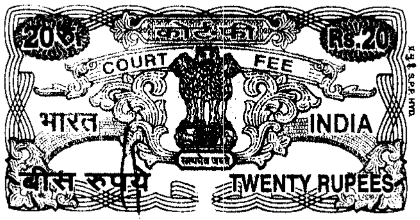

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक : /2014

प्रस्तुति दिनांक : 01–04–2014

समक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

रमेश जैन पिता रतनलाल जैन,
निवासी–16 डी, बक्तावरराम नगर, इन्दौर —प्रार्थी/अपीलार्ट

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक .... को प्रस्तुत

अधीक्षक

विरूद्ध

1. एहसान पिता कालूजी
निवासी–ग्राम मुण्डला नायता तहसील व
जिला इन्दौर —रेस्पान्डेन्ट/प्रत्यर्थी

:–: पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता :–:

माननीय महोदय,

राजस्व अपील क्रमांक 49/2011–12 में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कस्बा इन्दौर व्दारा दिनांक 21–01–2014 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1358 –PBR / 2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–1–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2007 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 8–8–2012 को 4½ वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अपील अवधि बाह्य मान्य करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में भी 4½ वर्ष के विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं [illegible] जा सका है । फलस्वरूप [illegible] निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	